हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्याःयू0डी0–ए0(3)–12/2015–III तारीख शिमला–2, 05/12/2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राजपाल , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के नियम 11 के खंड (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नीति विरचित करते हैं , अर्थात :–

हिमाचल प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (शहरी) राज्य नीति

प्रस्तावना

जैसे ही राज्य विकास की ओर अग्रसर होता है , वैसे ही हिमाचल प्रदेश राज्य के समक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती के रूप में प्रकट हो रहा है। राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के कर्मक्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार सतत विकास के अनुसरण में अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं को सम्यक पूर्विकता प्रदान करती है शहरी विकास विभाग प्रभावी राज्य–व्यापी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की राज्य नीति को प्रस्तुत करता है , जिसमे साधारण सिद्धान्त , अर्थोपाय , जिनके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के संकट को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

परिचय

शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बेहतर स्तरमान सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अति आवश्यक सेवाओं में से एक है। भारत में इस सेवा का स्तर वांछित स्तर से नीचे है क्योंकि अंगीकृत प्रणालियाँ पुरानी और अप्रभावी हैं। संस्थागत कमी , मानवीय और वित्तीय संसाधनों की कमी , प्रौद्यौगिकी का अनुपयुक्त चयन अपर्याप्त व्याप्ति और लघु और दीर्घकालिकी योजना का आभाव सेवाओं की अपर्याप्तता के लिए उत्तरदायी है।

इस सेवा की कार्यक्षमता और प्रभावपूर्णता को अधिकतम करने के लिए , " ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन " (एस.डब्लू.एम.) के समस्त पहलुओं का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करके निपटना अनिवार्य है और किफायती प्रणाली का अविष्कार करना जो नए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिग्राहय रीति में अपशिष्ट के संग्रहण , परिवहन और निपटान सहित नागरिकों के समस्त वर्गों के लिए अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करे ।

समय की माँग है कि किसी एक कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली का अविष्कार किया जाए , जिससे विनिश्चयकर्ता और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनाकार जटिलता और अनिश्चतता में बढ़ौतरी से निपट सकें। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के अधीन और पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, में रीति विहित की गई है। जिसमे प्राधिकरणों को उनके अपने–अपने शासी विधान के अधीन अपनी अधिकारिता के भीतर उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट ('एमएसडब्लू') के संग्रहण , पृथक्करण , भण्डारण , परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान का वचनबद्ध करना होगा।

इस संदर्भ में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और सम्बन्धित विनियमों की अनुपालना के आशय से शहरी स्थानीय निकायों को नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के प्रभावी हथालन हेतु मार्गदर्शित करने के लिए समुचित नीति ढांचे का पुनर्विलोकन करने विकसित करने और, कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है । यह ढांचा (मूल भूत पद्धति) राज्य में शहरी स्थानीय निकाओं को ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक और किफायती ढंग से प्रबन्धन करने में मार्गदर्शन करेगा और इसमें सहायक होगा ।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अधीन उपबंध

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान के परिणामस्वरूप विकट पर्यावरणीय अवक्रम के दृष्टिगत , पर्यावरण और वन मंत्रालय , भारत सरकार ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबन्धन करने के लिए समस्त नगरपालिका प्राधिकरणों से अनुबंध करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 अधिसूचित किये हैं। अपशिष्ट प्रबन्धन संग्रहण ,स्त्रोत पर पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और अंतिम निपटान के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर अनुपालन मानदंड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम ,2016 में उपवर्णित किये गए हैं, जिसके अंतगर्त निम्नलिखित है :–

(क) समस्त पणधारियों की निश्चित भूमिका और उत्तरदायित्व ;

(ख) स्रोत पर अपशिष्ट का अनिवार्य पृथक्करण और उसका पृथक् कृत रीति से संग्रहण ;

(ग) महासागरों , नदियों, खुले क्षेत्रों और पहाड़ी ढालों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का क्षेपण स्वीकार्य नहीं होगा ;

(घ) जैव– अवक्रमणीय अपशिष्ट का कम्पोस्टिंग , वर्मी – कम्पोस्टिंग , अवायवीय आत्मसात्करण या अपशिष्टों के स्थिरीकरण के लिए किसी अन्य समुचित जैव प्रसंस्करण द्वारा प्रसंस्कृत किया जाएगा ; और

(ङ) प्रत्युद्धरणीय संसाधनों से अन्तर्विष्ट मिश्रित अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। उपचार के लिए अन्य प्रौधोगिकियों जैसे बिछावन वातीकरण , जमाने आदि के लिए योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आपेक्षित होगा । केवल निष्क्रिय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट का , जो या तो पुनर्चक्रण के लिए या जैव प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है , भूमि भरण करना अपशिष्ट के निपटान की पद्धति होगी ।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम 11 और नियम 15 के उपबंध :

11 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के कर्तव्य –

(1) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सचिव, नगर पालिका प्रशासन आयुक्त या निदेशक या स्थानीय निकायों के निदेशक के माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा –

(क) इन नियमों से सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्धन के क्षेत्र में अपशिष्ट चुनने वालों के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और समान समूहों सहित पणधारियों के परामर्श से, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीति, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर शहरी विकास मंत्रालय की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति से समरूप होगी,तैयार करना ;

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में राज्य नीति और रणनीति तैयार करते समय भूमिभरण में जाने वाले अपशिष्ट की कमी सुनिश्चित करने तथा राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीति

में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों में अपशिष्ट की कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति और अनुकूलतम उपयोग पर बल देना;

(ग) राज्य नीतियों और रणनीतियों में अपशिष्ट चुनने वालों एवं अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं और पुनर्चक्रण उधोग के अनौपचारिक सेक्टर द्वारा अपशिष्ट को कम करने में निभाई गई प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया जाना और अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली में अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के बारे में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त उपलब्ध कराना;

(घ) समस्त स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इन नियमों के उपबन्धों के कियान्वयन को सुनिश्चत करना;

(ङ) राज्य के नगर योजना विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देना कि उन शहरों के सिवाय, जो सांझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा या शहरों के एक समूह के लिए क्षेत्रीय स्वच्छता भूमिभरण के सदस्य हैं, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक शहर की मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रावधान हैं;

(च) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक वर्ष के भीतर स्थानीय निकायों हेतु उपयुक्त भूमि को चिन्हित करना और आबंटन सुनिश्चित करना तथा उन्हें महानगर एवं जिला योजना समितियों या नगर और ग्राम योजना विभाग के माध्यम से राज्य/शहरों की मास्टर योजना (भूमि उपयोग की योजना) में सम्मिलित करना;

(छ) राज्य के नगर योजना विभाग और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देना कि 200 से अधिक आवास वाले या 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट वाली ग्रुप हाउसिंग या वाणिज्यिक, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसर के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेन्द्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया गया है;

(ज) विशेष आर्थिक जोन, औधोगिक संपदा, औधौगिक पार्क के विकासकर्ताओं को निदेश देना कि प्लॉट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम पांच प्रतिशत प्लॉट या शैड पुनः प्राप्ति या पुनर्चक्रण सुविधा के लिए आरक्षित करे;

(झ) लागत भागीदारी आधार पर क्षेत्रीय सुविधा से 50 किलोमीटर(या अधिक) की दूरी के अन्तर्गत आने वाले शहरों और नगरों के समूह के सांझा क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भूमिभरण की स्थापना को सुकर बनाना और ऐसे स्वास्थ्यकर भूमिभरणों के वृत्तिक प्रबन्धन को सुनिश्चित करना;

(ञ) ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन मे शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण तथा स्त्रोत पर ऐसे अपशिष्ट के पृथक्करण एवं परिवहन या प्रसंस्करण की व्यवस्था करना;

(ट) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श से पाँच टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए अन्तःस्थ क्षेत्र (बफर जोन) अधिसूचित करना; और

(ठ) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए योजना शुरु करना ।

15 स्थानीय प्राधिकरणों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायतों और शहरी समूहों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वः— स्थानीय प्राधिकरण और पंचायतें,—

(क) राज्य नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर राज्य नीति और रणनीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिकरण से उसे अनुमोदित कराना;

(ख) मलिन बस्तियों तथा अनौपचारिक बसावटों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर–आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का द्वार–द्वार के संग्रहण की व्यवस्था करना। बहु भण्डारण भवनों, बडे वाणिज्यिक परिसरों, मॉलों, आवासीय परिसरों आदि से अपशिष्ट का संग्रहण प्रवेश द्वार या किसी अन्य अभिहित स्थान पर किया जा सकता है;

(ग) अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना और द्वार–द्वार जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में इनकी भागीदारी को सुकर बनाने के लिए इन प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करना;

(घ) स्वयं सहायता समूह बनाने को सुकर बनाना, पहचान पत्र उपलब्ध कराना और तत्पश्चात घर–घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन देना;

(ङ) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए उपविधियां वनाना और समय पर उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(च) समय–समय पर उपयोक्ता फीस, जो समुचित समझी जाए, विहित करना और सवयं या प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से फीस का संग्रहण करना;

(छ) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निदेश देना कि उपशिष्ट न फैलाएं या कागज, पानी की बोतलें, मदिरा की बोतलें, पेय पदार्थों के कैनों, टेट्रा पैक्स, फलों के छिलके, रेपर इत्यादि या गलियों, खुल सार्वजनिक स्थानों, नालों, अपशिष्ट निकायों पर न जलाएं या कुण्ड मे न फैंकें या उनका निपटान न करें तथा इन नियमों के अधीन विहित किए गए अनुसार स्त्रोत अपशिष्ट को अलग–अलग करें और पृथक किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंप दें;

(ज) पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छँटाई करने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाएं या गौण भण्डारण सुविधाएं स्थापित करना ताकि अनौपचारिक या प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वाले और अपशिष्ट संग्रह करने वाले अपशिष्ट में से पुनर्चक्रणीय सामग्रियों को अलग कर सकें या उत्पादन के स्त्रोत से या सामग्री वसूली सुविधाओं से कागज, प्लास्टिक, धातु, शीशा, कपडा आदि जैसे पृथक किए गए पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए अपशिष्ट चुनने वालों और पुनर्चक्रकों को सुलभ मार्ग उपलब्ध कराना; जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के भण्डारण के लिए डिब्बे हरे रंग से रंगे हुए होंगे, जो पुनर्चक्रण के अपशिष्ट के भण्डारण के लिए सफेद रंग से रंगे हुए होंगे और अन्य अपशिष्ट के भण्डारण करने के लिए काले रंग से रंगे होंगे;

(झ) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए निक्षेपण केन्द्रों की स्थापना करना और अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निदेश देना कि घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट निक्षेपण का सुरक्षित निपटान इस केन्द्र में करें। ऐसी सुविधा की स्थापना किसी शहर या नगर में ऐसे ढंग से की जाएगी कि एक केन्द्र की स्थापना बीस वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल या उसके भाग के लिए हो जाए और ऐसे केन्द्रों में घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को प्राप्त करने का समय अधिसूचित हो;

(ञ) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान सुविधा तक सुरक्षित भण्डारण और परिवहन सुनिश्चित करना या जो राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या प्रदूषण नियन्त्रक समिति द्वारा निदेश दिया जाए; .

(ट) गली के सफाईकर्ताओं को निदेश देना कि गली की सफाई से संग्रहीत पेड के पत्तों को न जलाएं और उनका अलग से भण्डारण करें तथा स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंपें;

(ठ) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान

करना;

(ड) सब्जी, फल, फूल, मांस, कुक्कुट और मछली बाजार से दिन–प्रतिदिन आधार पर अपशिष्ट संग्रहण करना और स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में उचित स्थानों पर या बाजारों के आस–पास विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट प्लांट या जैव मिथेनीकरण प्लांट की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना;

(ढ) जनसंख्या के घनत्व, वाणिज्यिक कियाक्लाप और स्थानीय स्थिति पर निर्भर करते हुए दैनिक या वैकल्पिक दिनों या सप्ताह में दो बार सडकों, मार्गों, गलियों और उप–गलियों की सफाई के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रहण करना;

(ण) सड़क की सफाई के कूड़े और सतही नालियों से निकाली गई गाद को जिन मामलों में इन अपशिष्टों का सीधा संग्रहण करने के लिए परिवहन यान सुविधाजनक व्यवहार्य नहीं है, अस्थायी रूप से भण्डारण करने के लिए आच्छादित (ढकी हुई) गौण भण्डारण सुविधा स्थापित करना । इस प्रकार संग्रहीत अपशिष्ट का संग्रहण और निपटान स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्धारित नियमित अन्तराल पर किया जाएगा;

(त) बागवानी, पार्कों और बगीचों के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रहण करना और जहॉ तक संभव हो, उसका प्रसंस्करण पार्कों और बगीचों में करना;

(थ) पृथक किए गए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का परिवहन प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कम्पोस्ट प्लांट, जैव मिथेनिकरण संयत्र या ऐसी अन्य सुविधा तक करना। ऐसे अपशिष्ट के स्थल पर प्रसंस्करण को अधिमान दिया जाना चाहिए;

(द) कमशः प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाओं या द्वितीयक भण्डारण सुविधा को गैर–जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का परिवहन करना;

(ध) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रवन्धन नियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसार करना;

(न) समुदाय सुविधा के आस–पास दुर्गंध नियन्त्रण और स्वास्थ्य रक्षक स्थितियों के अनुरक्षण के अध्यधीन समुदाय स्तर पर घरेलू कंपोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण के अपशिष्ट प्रबन्धन और संवर्धन में समुदायों को शामिल करना;

(प) दो वर्ष मे रासायनिक खाद के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी पार्कों, बगीचों में कम्पोस्ट का प्रयोग करना और जहॉ कहीं भी संभव हो इसकी अधिकारिता के अधीन अन्य स्थानों पर भी ऐसा करना। अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चकण सेक्टर द्वारा पुनर्चकण पहलों को प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं;

(फ) निम्नलिखित प्रौद्यौगिकियों सहित उपयुक्त अद्यौगिकी अंगीकार करते हुए और समय–समय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों के उचित उपयोग के लिए सवयं या निजी सेक्टर की भागीदारी या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबन्धित अवसंरचना के संन्निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को सुनकर बनाना। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण को अधिमान दिया जाएगा जैसेः–

(क) जैव–मिथैनिकरण, सूक्ष्म जैविक कंपोस्टिंग,वर्मी कंपोस्टिंग,अनारोबिक डाईजेशन या जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण,

(ख) अपशिष्ट के ज्वलनशील भाग के लिए अपशिष्ट जनित ईंधन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रकियाएं या अपशिष्ट अधारित विद्युत संयन्त्रों या सीमेंट भट्टियों को कच्चे माल (फीड स्टॉक)के

रूप में आपूर्ति;

(ब) इन नियमों के अधीन विहित राति में अपशिष्ट निपटान के लिए अनुसूची–1 के अनुसार सवयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से स्वास्थ्यकर भरण स्थलों और आनुषंगिक अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण कराना;

(भ) पूंजी निवेश के साथ–साथ वर्षिक बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का पर्याप्त प्रावधान करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के वैवेकिक कृत्यों के लिए निधियां केवल ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा इन नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के लिए अन्य बाध्यकारी कृत्यों के लिए अपेक्षा को पूर्ण करने के पश्चात् ही आबंटित की गई है;

(म) यदि स्वच्छता भरण स्थलों सहित अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन 5 टन से अधिक है तो, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या प्रदूषण नियन्त्रण समिति से अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निपटान प्रसुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु प्रारूप–1 में आवेदन करना;

(य) प्राधिकार की विधिमान्यता के अवसान से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना;

(यक) उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उससे पूर्व आयुक्त या निदेशक नगरपालिका प्रशासन या प्राधिकृत अधिकारी को प्रारूप–4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना;

(यख) वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 मई तक राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग और संबन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण समिति को भेजी जाएगी ;

(यग) कार्मिकों जिसके अन्तर्गत संविदा कार्मिक और पर्यवेक्षक भी है, को पृथक किए गए अपशिष्ट के द्वार–द्वार संग्रहण के लिए और प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के द्वौरान अमिश्रित अपशिष्ट के सम्बन्ध में शिक्षित करना;

(यघ) यह सुनिश्चित करना कि सुविधा का प्रचालक, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अन्तर्गत वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बरसातियां, समुचित जूते और मास्क भी हैं , ठोस अपशिष्ट का हकालन करने वाले सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग किया जाए;

(यङ) यह सुनिश्चित करना कि किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्किट काम्पलैक्स की निर्माण योजना का अनुमोदन प्रदान करते समय भवन योजना में संग्रहण, पृथक्करण और पृथक किए गए अपशिष्टों के भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों को स्थापित करने की व्यवस्था सम्मिलित की गई है;

(यच) उन व्यक्तियों, जो कचरा फैलाते हैं या इन नियमों की अनुपालना करने में असफल रहते हैं, के लिए उप–विधियां बनाना और स्थल पर ही जुर्माने का उदग्रहण करने के लिए मानदण्ड विहित करना तथा बनाई गई उप–विधियों के अनुसार स्थल पर जुर्माने का उदग्रहण करने के लिए अधिकारियों या स्थानीय निकायों को शक्तियॉ प्रत्यायोजित करना ;

(यछ) सूचना, शिक्षा और और संचार अभियान के माध्यम से लोक जागरूकता उत्पन्न करना और अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को निम्नलिखित के सम्बन्ध मे शिक्षित करना ; अर्थातः–

(i) कचरा न फैलाना;

(ii) अपशिष्ट का उत्पादन न्यूनतम करना;

(iii) अपशिष्ट का संभव सीमा तक पुनः उपयोग;

(iv) अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय, गैर–जैव निम्नीकरणीय (पुनर्चक्रण योग्य तथा दहनयोग्य) स्वच्छता अपशिष्ट और स्रोत पर घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करना;

(v) घरेलू कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन या समुदाय स्तरीय कंपोस्टिंग, की व्यवस्था करना;

(vi) जब कभी ब्रॉड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई थैलियों के रूप में उत्पन्न उपयोग किए गए स्वच्छता अपशिष्ट को सुरक्षित रूप में लपेटना या स्थानीय निकाय द्वारा यथाविहित उपयुक्त रूप से लपेटना और उसे गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के लिए रखे गए कुडेदान में डालना;

(vii) स्रोत पर पृथक्कृत अपशिष्ट का अलग–अलग कूडेदानों मे भण्डारण करना,

(viii) अपशिष्ट चुनने वालों, अपशिष्ट संग्रहकों, पुनः चक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को पृथक्कृत अपशिष्ट सौपना, और

(ix) अपशिष्ट एकत्र करने वालों या स्थानीय निकायों या स्थानीय निकाय द्वारा प्रधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन धारणयतीय के लिए मासिक उपयोक्ता फीस या प्रभार का संदाय करना;

(यज) स्वच्छता भमि भरण की स्थापना और प्रचालन के लिए नियम 23 में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा समाप्त होने के तुरन्त पश्चात मिश्रित अपशिष्ट से भूमि भरण या क्षेपण रोकना;

(यझ) केवल अप्रयोजनीय गैर– पुनर्चक्रण योग्य गैर–जैव निम्नीकरणीय, गैर–दहनशील , और गैर–सक्रिय अपशिष्ट और पूर्व प्रसंस्करण अपशिष्टों तथा अपशिष्टों की ही अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से भूमिभरण के लिए ले जाना अनुज्ञात करना और स्वच्छता भूमि भरण स्थल अनुसूचि–1 में दिए विनिर्देशों को पूर्ण करेंगे। तथापि भूमि भरण में जरा भी अपशिष्ट न जाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपशिष्टों के पुनः चक्रण या पुनः उपयोग का हरसम्भव प्रयास किया जाएगा;

(यञ) सभी पुराने खुले क्षेपण स्थलों तथा विद्यामान चालू क्षेपण स्थलों के जैव– खनन तथा जैव उपचारात्मक की संभाव्यता के लिए जांच और विश्लेषण करना और जहां कहीं व्यवहार्य हो स्थलों के जैव–खनन या जैव–उपचारी स्थलों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना; और

(यट) क्षेपण स्थल के जैव–खनन और जैव–उपचारात्मकता के अभाव में पर्यावरण को होने वाली और क्षति से निवादित करने के लिए भूमिभरण रोकने के मानकों के अनुासार इसे वैज्ञानिक रूप से रोका जाएगा।

नीति के उद्देश्य

प्रभावी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं का लक्ष्य लोक स्वास्थ्य , पर्यावरण और प्राकृतिक स्त्रोत (जल, भूमि, और वायु) का सरंक्षण करना है । प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा केवल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यकलापों की दक्षता में सुधार करने से प्राप्त की जा सकती है तद्द्वारा अपशिष्ट उत्पादन का घटना , नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का पृथक्करण तथा कम्पोस्ट और ऊर्जा की पुनप्राप्ति करना है ।

शहरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार से है :–

क ठोस प्रबन्धन कार्यकलापों (संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान) के कार्यान्वयन के लिए ऐसी रीति में निदेश देना जो न केवल पर्यावरणीय सामाजिक तथा वित्तीय रूप से यथोचित पोषणीय है किन्तु आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य है

ख नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए एक एकीकृत और स्वतःपूर्ण प्रचालित ढांचों की स्थापना करना जिसमे विभिन्न ठोस प्रबन्धन कार्यकलापों के संचालन के लिए समुचित साधनों और प्रोद्यौगिकी का विकास भी सम्मिलित होगा ।

ग शहरीय स्थानीय निकायों के नागरिकों को प्रभावी अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाएं उपलबध करवाने के लिए उसकी क्षमता में वृद्धि करना ।

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का परिदृश्य :

हिमाचल प्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल 7.12 लाख की जनसँख्या वाले राज्य में कुल 54 शहरीय स्थानीय निकाय (2 नगर निगम , 31 नगर परिषद्, और 21 नगर पंचायतें) हैं । यधपि राज्य में अभी तक राज्य में उत्पन्न हो रहे अपशिष्ट की मात्रा या गुणवत्ता दोनों में से प्रत्येक की पहचान करने के लिए, कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गए हैं । सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल होने के कारण राज्य में गर्मियों में पर्यटकों की बड़ी संख्या का आगमन होता हैं। इसलिए राज्य में उत्पादित अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा सभी ऋतुयों के दौरान एक जैसी नहीं रहती हैं किन्तु इसमें पर्यटन गतिविधियों के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य में भारी चलायमान जनसँख्या के कारण विभिन्न ऋतुयों के दौरान अत्यधिक फेरफार होता हैं ।

राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की गुणवत्ता , मात्रा और विशेषता को अभिनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संसथान ,नागपुर के माध्यम से अपशिष्ट विरूपण अध्ययन संचालित करवाया था। अध्ययन राज्य का प्रतिनिधितत्व करने वाले चार शहरों नामतः धर्मशाला, सुंदरनगर, मंडी और शिमला में मानसून– पूर्व और मानसून–पश्चात् संचालित किया गया था। इन शहरों के अपशिष्ट के वर्तमान घटक और उनकी प्रतिशतता नीचे चार्ट में दर्शायी गई हैं :–

क्रम संख्या	अपशिष्ट घटक	प्रतिशतता
1	जैव निम्नीकरणीय	52.45
2	कागज	24.09
3	प्लास्टिक	9.83
4	वस्त्र	4.10
5	शीशा	1.35
6	रबड़	0.44
7	धातु	1.29
8	निष्क्रिय	6.49

राज्य में कुल शहरीय स्थानीय निकाय प्रतिदिन लगभग 342 टन औसतन अपशिष्ट उत्पादन करते हैं। शहरीय स्थानीय निकाय–वार अपशिष्ट उत्पादन (लगभग आंकड़े) निम्न प्रकार से हैं:–

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पादन

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्राक्कलित अपशिष्ट उत्पादन(टीपीडी0)
1	नगर निगम, शिमला	90.00
2	नगर परिषद्,रामपुर	4.50
3	नगर परिषद्, ठियोग	1.80
4	नगर पंचायत, नारकंडा	0.80
5	नगर पंचायत,सुन्नी	0.60
6	नगर पंचायत, चौपाल	0.40

7	नगर पंचायत, कोटखाई	0.45
8	नगर पंचायत, जुब्ल	0.30
9	नगर परिषद्,रोहडू	1.00
10	नगर परिषद्,सोलन	20.00
11	नगर परिषद,नालागढ़	3.00
12	नगर परिषद्,परवाणू	2.50
13	नगर पंचायत,अर्की	1.50
14	नगर परिषद्,बद्दी	12.00
15	नगर परिषद्,नाहन	10.00
16	नगर परिषद्,पांवटा	9.00
17	नगर पंचायत,राजगढ़	1.00
18	नगर परिषद्,बिलासपुर	4.50
19	नगर परिषद्,नैना देवी जी	1.00
20	नगर परिषद्,घुमारवीं	3.00
21	नगर पंचायत,तलाई	0.60
22	नगर परिषद्,ऊना	6.00
23	नगर पंचायत,गगरेट	2.10
24	नगर पंचायत, दौलतपुर	2.00
25	नगर परिषद्,मैहतपुर	4.00
26	नगर परिषद्, संतोखगढ़	4.50
27	नगर पंचायत, टाहलीवाल	1.80
28	नगर परिषद्, हमीरपुर	15.00
29	नगर पंचायत, नदौन	0.70
30	नगर परिषद्,सुजानपुर	1.90
31	नगर पंचायत, भोटा	0.80
32	नगर निगम ;धर्मशाला	18.00
33	नगर परिषद्, कांगड़ा	6.00
34	नगर परिषद्, पालमपुर	1.50
35	नगर परिषद्, नुरपुर	4.00
36	नगर परिषद्, देहरा	1.80
37	नगर परिषद्, नगरोटा	4.00
38	नगर परिषद्, ज्वालामुखी	2.10
39	नगर पंचायत, ज्वाली	5.20
40	नगर पंचायत, बैजनाथ–पपरोला	7.80
41	नगर परिषद्, चम्बा	8.50
42	नगर परिषद्, डलहौजी	2.50
43	नगर पंचयात, चौवाड़ी	0.30
44	नगर परिषद, मण्डी	23.00
45	नगर परिषद्, सुन्दरनगर	13.50
46	नगर परिषद, नेरचौक	8.20
47	नगर पंचायत, सरकाघाट	1.50
48	नगर परिषद्, जोगिन्द्रनगर	1.20
49	नगर पंचायत,रिवालसर	0.60
50	नगर पंचायत,करसोग	1.00
52	नगर परिषद्,कुल्लू	10.00
52	नगर परिषद्,मनाली	12.00
53	नगर पंचायत,भुंतर	2.50
54	नगर पंचायत,बंजार	0.50
कुल		342.35

राज्य द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रस्ताव
अपशिष्ट प्रबन्धन का उतक्रम–3 आरज(घटाना, पुनउपयोग, पुनर्चक्रण):

ढांचा बहुआयामी प्रस्ताव प्रस्तावित करता है, 3 आरज सिद्धान्त जैसे घटाना, पुनउपयोग और पुनर्चक्रण सम्मिलित है। अपशिष्ट प्रबन्धन में उपायों का प्रथम विकल्प बचाव और अपशिष्ट उत्पादन के माध्यम से इसमें कमी करना है। इस कदम का उददेश्य ऐसी रीति में परिकल्पित किए जाने वाले माल के लिए अपशिष्ट घटकों को कम करना है। उत्पादन प्रकिया के दौरान अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और विषाक्तता को कम करना भी महत्वपूर्ण है।

किसी वस्तु का पुनउपयोग करने से इसके रूप या गुणधर्म में परिवर्ततन किए बिना उसी तरह या विभिन्न प्रयोजन में उपयोग के लिए अपशिष्ट प्रवाह से हटाता है।अपशिष्ट का पुनर्चक्रण जिसमें अपशिष्ट प्रवाह और उत्पादन या कच्ची सामग्री के रूप में उन्हें प्रसंस्करण करने से पृथक्करणीय वस्तुएं भी अन्तर्वलित है। इस प्रस्ताव से किसी उत्पाद का पुनर्चक्रण किया जाता है जब यह अंतिम कगार पर हो। पुनर्चक्रण नए उत्पादों को विनिर्मित करने के लिए सामग्री को गौण संसाधनों में रूपांतरित करने की प्रकिया है। उत्पाद स्त्रोत पर पृथक्करण से समस्त पणधारियों को संस्थागत सहायता और अभिप्रेरणा द्वारा उपलब्ध करने से अपशिष्ट पुनर्चक्रणीय सेक्टर को बढ़ावा देना है।

नीति का दृष्टिकोण , लक्ष्य और मार्गदर्शी सिद्धान्त –

दृष्टिकोण –

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुरूप समस्त नागरिकों के लिए उतम लोक स्वास्थ्य और पर्यवरणीय परिणामों को सुनिश्चित करने और उनका अनुपालन करने हेतु राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति का दृष्टिकोण है कि राज्य के शहरी नगरों को सम्पूर्णतया साफ, स्वच्छ, स्वास्थ्याकर और वासयोग्य बनाना है। हिमाचल प्रदेश के नगरों को पूर्णतया सुरक्षित संग्रहण, परिवहन ,उपचार और निपटान सुविधाओं और बैंचमार्क सेवा प्राप्त करने सहित कुशल पर्यावरण हितैषी और प्रोत्साहनयोग्य अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली को तैयार करना है।

लक्ष्य–

- शतप्रतिशत द्वार–द्वार संग्रहण और स्रोत पर पृथक्करण।
- नगरों में उत्पादित अपशिष्ट का दक्षतापूर्ण संग्रहण और सुरक्षित परिवहन।
- शतप्रतिशत उपचार और वैज्ञानिक रूप से निपटान सुविधा और लागत वसूली
- शहरी जनसंख्या और समुदाय संग्रह भागीदारी के मध्य बेहतर जागरूकता।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मे मानव संसाधन की क्षमता वृद्धि और उसका अनुकूल उपयोग।
- बेहतर विनियमन और उपभोक्ता प्रभारों के लिए विद्यमान उपविधियों को सशक्त बनाना।
- क्षेत्रीय /समूह दृष्टिकोण पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के विकसित होने में सार्वजनिक प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- शहरी स्थानीय निकायों के व्यक्तियों के लिए ठोस अपशिष्ट उपचार /निपटान सुविधाएं, जो समूह आधारित दृष्टिकोण के अन्तर्गत नहीं आ सकती है, विकसित करना।
- हिमाचल प्रदेश के नगरों में अन्तिम रूप से 'शून्य' अपशिष्ट की प्राप्ति करना ।

नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त :–

सिद्धान्त , जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं के प्रावधानों के लिए भावी दृष्टिकोण का विनियमन करते हैं, में निम्नलिखित सम्मिलित है ,–

क स्वच्छता मूल सेवा के रूप में मानी जाएगी :– राज्य सरकार अवसर पैदा करेगी और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी जिससे समस्त नागरिकों को उनकी मूल हकदारी के रूप में स्वच्छता सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

ख स्वच्छ नगरों के सामूहिक लक्ष्य में जागरूकता अभिवृद्धिः– सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के आकस्मिक संयोजन को नागरिकों , समुदायों और संस्थानों के लिए अधिक सुस्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। सुविधाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त जीवन की गुणवता में अविरत सुधार संभव है जब स्वास्थ्यकर और परिवर्तनीय व्यवहार द्वारा अनुपूर्तित है। राज्य का लक्ष्य विशेषतयः अनुपयुक्त गृहस्थियों के समान मे से स्वच्छता के लिए मांग प्रस्थापित करना होगा। नागरिकों, समुदायों, संस्थानों और सम्पूर्ण नगरों को सुरक्षित स्वच्छता की ओर व्यवहारिक परिवर्तन और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण और उपयोग सुनिश्चित करने , दोनों में , सक्रिय भूमिका निभाने में प्रोत्साहित करेगी।

ग संस्थागत भूमिका , उतरदायित्व और क्षमता विकास :– नीति और विधि में आनुक्रमिक सन्धान पर केन्द्रित होगी। जो ऐसे प्रचालनों द्वारा अनुसरित की जाएगी जो 74वें सांविधानिक संशोधन अधिनियम , 1994 के उद्देश्यों के अनुरूप है । कृत्यों का न्यागमन, विधियों और कृत्यकारियों से भवन योजना और प्रबन्धन क्षमताओं के समुचित सहायता के साथ शहरी स्थानीय निकायों को आनुक्रमिक रूप से सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता होगी। नगर स्वच्छता योजना की गुणवता उपनगर प्रतिनिधि संस्थानों के उत्साह पर निर्भर करेगी जो सक्रिय नागरिक नियोजन सुनिश्चित करने के लिए सिविल सोसाइटी से ग्राह होगा।

घ शहरी क्षेत्रों के पर्यावरणी स्वच्छता के प्रभावी और कुशल नियंत्रण और प्रबन्धन के लिए सामर्थ्यकारी विधान की व्यवस्था करना।

ड. ठोस अपशिष्ट, विकसित उपचार और अंतिम निपटान सुविधाओं से मूल्य की वसूली की अभिवृद्धि करना जो कानूनी अपेक्षाओं का अनुसरण करते समय धारणीय, पर्यावरणी हितैषी और मितव्ययी हों।

च अपशिष्ट के विविध और शारीरिक हथालन को न्यूनतम करना और ये सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसी प्रणाली परिकल्पित करना कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उपचार और अंतिम निपटान तक भूतल को तब तक स्पर्श न करे जब तक कि विभिन्न पणधारियों की भूमिका और उतरदायित्व परिभाषित न कर दिए जाएं और प्रचालन ढॉचे को इस प्रकार प्रस्थापित किया जाए ताकि उसमें प्रभावी संसाधन,उपयोग और अभिनियोजन के लिए समुचित संविदात्मक विकास संरचना सम्मिलित प्रणालियां हों।

छ नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से मूल्य की वसूली की अभिवृद्धि करना , विकसित उपचार और अंतिम निपटान सुविधाएं जो कानूनी अपेक्षाओं का अनुसरण करते समय धारणीय, पर्यावरणीय हितैषी और मितव्ययी हों। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संगठन और घरों, समुदायों , गैर सरकारी संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय पर उतना ही निर्भर करता है जितना की विभिन्न अपशिष्ट प्रबन्धन क्रियाकलापों के उपयुक्त तकनीकी समाधानों के चयन और लागू होने पर।

ज 'प्रदूषण को भुगतना पड़ता है' सिद्धांत का मूलतः अभिप्राय है कि माल या मदों का उत्पादक किसी प्रदूषण जो प्रक्रिया से कारित होता है उसे रोकने या उसका निपटान करने कि लागत के लिए उत्तरदायी होना चाहिए , जहाँ तक व्यवहार्य हो, अंगीकृत और लागू किया जाएगा।

झ स्वच्छता अवसंरचना के प्रचालनों और अनुरक्षण पर बल देना :– अभावग्रस्त स्वच्छता अवसरंचना के साथ–साथ अत्याधिक पुंजी व्यय , विद्यामान स्वछता अवसंरचना के प्रचालनों और अनुरक्षण कि कमी के लिए मुख्य कारणों में एक है। शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिच्छित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि विद्यामान स्वच्छता अवसरंचना को पर्याप्त समुचित स्तरों पर या तो सरकारी निधियों के माध्यम से या प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी के से अनुरक्षित किया जाए ।

ञ शहरी स्वच्छता सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में बृहत् पर्यावरणीय समुत्थानों का एकीकरण :– स्वच्छता व्यवस्था और प्रबन्धन हेतु समस्त विकास क्रिया–कलापों में पर्यावरण (भूमि, वायु और जल संसाधनों) पर विचार करना आवशयक है । समस्त योजना और कार्यान्वयन से यह सुनिच्छित करने की अपेक्षा की जाएगी कि स्वच्छता श्रृंखला – परिरोधन, संग्रहण, परिवहन या प्रवहरण ; उपचार और पुनः उपयोग या निपटान का समस्त प्रकमों पर लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रतिकूल जोखिम को पर्याप्ततः न्यूतनम किया जाए । पर्यावरण के समुचित सरंक्षण , जिसके अंतर्गत अभियोजन यथापेक्षित विधि के अधीन है, को लागू किया जायेगा ।

राज्य सरकार उन शहरों , जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः राज्य में नदियो या नदी घाटियों को अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट जल के बहाव के कारण प्रभावित करते हैं , को प्रणालियाँ विकसित करने के लिए वरीयता प्रदान करेगी ।

क्रियान्वयन योजना :–

उपरोक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के अनुसार , राज्य ने पहले ही, वर्ष २०१७ में राज्य स्तरीय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य योजना बनाई है और राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के स्थिति में सुधार लाने के लिए तदनुसार कारवाईयाँ की जा रही है ।
आगामी मार्ग और नीतिगत मध्यक्षेपों का आरम्भ किया जाना :–
प्रस्तावित नीति छह मुख्य तत्व नियोजित करती है :–

(क) उत्पादित ठोस अपशिष्ट का द्वार– द्वार संग्रहण ;

(ख) अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण की अभिवृद्धि;

(ग) योजना के क्रियान्वयन में पणधारियों को लगाना ;

(घ) अपशिष्ट का प्रसंस्करण , उपचार और निपटान ;

(ड.) शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को सुदृढ़ करना ;

(च) संस्थागत व्यवस्थाएं और कार्यक्रम समर्थन ।

(क) उत्पादित अपशिष्ट का द्वार– द्वार संग्रहण –

निवासियों को कचरा खुले में फैलानों से रोकना , अपशिष्ट का द्वार– द्वार संग्रहण करवाना , निवारित करने , अनुत्क्रमणीय नीतिगत दृष्टिकोण होगा । द्वार –द्वार से संग्रहित अपशिष्ट , स्त्रोत पर ही अलग किया जायेगा और सभी स्त्रोतों से सूखा व गीला अपशिष्ट अलग – अलग संग्रहित किया जायेगा । शहरों में पृथक्कृत रीति में अपशिष्ट संग्रहण के लिए उपयुक्त कूड़ेदान जहाँ प्रणाली (सामुदायिक या कूड़ेदान जहाँ अपेक्षित हो)

- शहरी स्थानीय निकाय द्वार –द्वार संग्रहण को आउटसोर्स करने के लिए प्रोत्साहन देना और इसको उपचार संयत्र संचालनों के साथ एकीकृत करना।
- बेहतर कवरेज के लिए शहर बड़े पैमाने पर द्वार– द्वार संग्रहण कार्यकलापों का रुट मानचित्रण ।
- अपशिष्ट के संग्रहण के लिए शहर–शहर की अवस्थिति के आधार पर यान /उपकरण लगाए जा सकेंगे ।
- अपशिष्ट को यानों द्वारा उपचार/निपटान सुविधा तक अलग– अलग रूप में (गीला और सूखा) ले जाया जाना चाहिए ।
- अपशिष्ट का कम से कम मानव संपर्क के साथ नगरपालिका ठोस अपशिष्ट कड़ी के माध्यम से यांत्रिकतः हथालन किया जायेगा । अपशिष्ट के परिवहन के लिए ढकी हुई परिवहन प्रणाली के साथ आधुनिक फ्लीट प्रबन्धन सेवाएँ अंगीकृत की जाएं ।
- अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन में कार्यरत व्यक्तियों के लिए विशिष्ट सुरक्षा के लिए विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था की जाए ।

ख) अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण की अभिवृद्धिः

- गैर जैव निम्नकरणीय सामग्री जैसे प्लास्टिक और सुसंगत प्रोधौगिकी के माध्यम से उसके पुनर्चक्रण , पुनः उपयोग के लिए पद्धति विकसित करने और प्रोत्साहन आधारित उपकरण

के उपयोग करने , तथा सहभागी पद्धति के माध्यम से गैर जैव–निम्नकरणीय को कम करने और हटाने के लिए उपायों को विकसित करने और उनका कार्यन्वयन करने के लिए पुनर्चक्रणीय अनुक्लापों को प्रोत्साहन देना ।

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर ही जैविक, अजैविक , पुनर्चक्रण – योग्य और परिसंकटमय अपशिष्ट के वर्गों में अलग–अलग किया जाय । नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन घटकों जैसे धातु , प्लास्टिक, शीशा और कागज के अपशिष्ट को अलग–अलग और पुनर्चक्रित किया जाए । प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय , जहॉ संभव हो , सामाजिक उद्यामियों अनौपचारिक सेक्टर से सामान्य हित समूहों जैसे कबाड़ी संगमों और सहकारिताओं , सामुदायिक आधारित संगठनों जैसे महिला स्वयं सहायता समूह , गन्दी बस्ती स्तर के परिसंघ , अपार्टमेंट सोसाइटियां ,आवासीय कल्याण संगमों और गैर –सरकारी संगठनों को सम्मिलित करके सूखा अपशिष्ट छंटाई सुविधाओं (सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधायें) की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करे ।

- व्यक्तिगत परिवारों / अपार्टमेंट परिसरों को ' स्रोत संयोजन विकल्पों ' जैसे पीड़क जन्तु संयोजन /परिवार स्तर पर सयोंजन , रसोई अपशिष्ट के लिए छोटे पैमाने पर नए युग की वहनीय (पोर्टेबल) बायो–गैस इकाइयां और जैव अपशिष्ट के उपचार हेतु स्थानों के भाग जैसे सामुदायिक स्तर , बड़े होटल , मैरिज–हाल, छात्रवास , संगठित कॉलोनियों में छोटे पैमाने पर विकेन्द्रीकृत इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

- शहरी स्थानीय निकाय , सड़क किनारे उपयुक्त अवस्थानों ,संस्थागत परिसरों और बागवानी अपशिष्ट के लिए सार्वजनिक पार्क या घासफूस के लिए समुदाय आधारित सयोंजन प्रांगणों की स्थापना करे और हितबद्ध सफाईकर्ता समूहों ,आपर्टमेंट सोसाइटियों , आवासीय कल्याण संगमों या समुदाय आधारित संगठनों को उनके रख –रखाव और उनके द्वारा उत्पादित खाद के विक्रय से हुई प्राप्तियों के प्रयोग के लिए उत्साहित करें ।

- भराव क्षेत्र स्थलों का उपयोग किफायत से और अपशिष्ट प्रबन्धन उतक्रम में केवल अन्तिम विकल्प के रूप में किया जाए और यह उत्पादित कुल नगरपाालिका ठोस अपशिष्ट के बीस प्रतिशत से अधिक नही होगा। जैविक और पुनर्चक्रणीय सामग्री केवल निष्क्रिय पदार्थ के भूमि भरण से पहले पूर्णतः प्राप्त की जाए।

(ग) पणधारियों को कार्यान्वयन में नियोजित करना –

- सुदृढ़ संविदात्मक परिपाटी जो की परिचालन लक्ष्यों की स्थापना , परिनिश्चीत अनुपालन या सेवा बैंचमार्क मानकों और विनिर्देशों से आरम्भ होती है ,को प्रोत्साहित करना और कोई दस्तावेज पेश करना जो इन को प्राइवेट , अर्ध–प्राइवेट, गैर्–सरकारी संगठनों (एन जी ओ), समुदाय आधारित सगठनों या अन्य आर्थिक क्षेत्रों जो सेवा प्रदाता के रूप में भाग लेने के इच्छुक हो, संसूचित करें ।

- पणधारियों के मध्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के बारे में जागरूकता एक महत्वपूर्ण और निरंतर प्रक्रिया है । पणधारियों को विस्तारित क्रियाकलापों को गति देने की आवश्यकता है ताकि पणधारियों को प्रभावी आई ई सी प्रोग्राम के माध्यम से निरंतर प्रोत्साहित और शिक्षित किया जा सके। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृहस्थियों , स्थापनों उधोगों , निर्वाचित प्रतिनिधयों ,नगरपालिक कृतकारियों , संचार माध्यम आदि के साथ निरंतर बैठकों के माध्यम से शहरी पणधारियों में जागरूकता बढ़ाना। क्योंकि उत्कृष्ट स्वच्छता तभी अच्छे लोक –स्वास्थ्य और पर्यावरण के परिणाम सुनिश्चित कर सकती है यदि समाज के वर्णक्रम में व्यवहार और आचरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रतिबिंबित हो ,

- शहरी स्थानीय निकाय गन्दी–बस्ती क्षेत्रों में सामुदायिक आधारित संगठनों जैसे कि स्वयं सहायता समूहों की तर्ज पर पर भी प्रभावी लोकतांत्रिक तथा भागीदारी कृत्यकारी उपाय खोजने वाली क्रियाविधयों के लिए गैर गन्दीबस्ती क्षेत्रों में समुदाय भागीदारी तथा वहनीय रीति में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सभा संगठन –(आर डब्लू एस) को विकसित और मज़बूत कर सकेगी ।

- शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट की मात्रा और विशेषताओं ,अपशिष्ट उपचार , एकत्रीकरण और निपटान , अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं की वयवस्था पर आने वाली और जन क्षेत्र में सेवाओं के वित् पोषण के लिए प्रयुक्त निधीयण स्रोत कि सुसंगत सूचना प्रसारित करें । सेवा कि वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्टें भी प्रकाशित कि जाएंगी ।
- शहरी स्थानीय निकाय पणधारियों को शहरी स्वच्छता योजनाओं कि योजना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण में सम्मिलित कर शहर स्वच्छता कृतिक–बल का गठन करें ।

(घ) अपशिष्ट का प्रसंस्करण , उपचार और निपटान :–

- शहरी स्थानीय निकाय उपचार और वैज्ञानिक निपटान के लिए केन्द्रीयकृत (शहर और क्षेत्र स्तर) और विकेन्द्रीयकृत विकल्पों के बहुविकल्प के मिश्रण को अपनाएं।
- नगरपालिकाओं के मामले में उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा और उसको क्षेत्रीय सुवाधिओं तक एकत्रित करने की आर्थिकी पर विचार करते हुए समूह स्तर पर प्रसंस्करण इकाईयां केन्द्रीयकृत करना।

- अलग–अलग अपशिष्ट का उपचार उसकी साध्यता, विशषताओं और अपशिष्ट की मात्राओं के आधार पर समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाएगा। सयोजन, जैव–अवकर्षणीय/गीले अपशिष्ट और ऊर्जा अपशिष्ट, कचरा व्युत्पन्न ईधंन का जैव मिथेनीकरण, सीमेंट/ऊर्जा संयन्त्रों में सुखे अलग–अलग प्रतिशेपित अपशिष्ट का सह–प्रसंस्करण, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पृष्ठांकित है, प्रौद्योगिकी विकल्प हो सकते हैं।

- उपचार और वैज्ञानिक निपटान मूल लागत आधारित है और प्रचालन और रख–रखाव लागत की वसूली प्रौद्योगिकी अधारित है, उपचार और निपटान के लिए विकसित लोक–प्राईवेट भागीदारी परियोजनाओं हेतु टिपिंग/प्रसंस्करण फीस प्रतिकर क्रियाविधि है।

(ङ) शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढानाः–

- राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए उपयोग प्रभार , उल्लंघनकर्ताओं से शास्तियों और अपशिष्ट और उपोत्पाद के विक्रय से राजस्व जैसे राजस्व विकल्पों , स्वच्छ विकास तन्त्र, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपकर , भूमि–भराव कर या प्रसंस्करण फीस आदि के संग्रहण को सुकर बनाने के लिए आदर्श उप–विधियां और विधान प्रारुपित करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे।

- नगर के आकार और जनसंख्या के आधार पर उपकरणों के उपादन और सेवाओं हेतु संक्रियात्मक दिशा–निर्देश उप–वर्णित करना।

- कम्पोस्ट और अन्य पुनर्चक्रण जैसे उपोत्पाद के लिए प्रोत्साहन और मण्डी–संयोजन प्रदान करना। कम्पोस्ट और इसके उपोत्पादों के प्रभावी बजारीकरण को सुनिश्चित करने हेतु कृषि ,बागवानी , वन विभागों और उर्वरक कंपनियों और कृषि क्षेत्र के अन्य अभिकरणों की भागीदारी से कम्पोस्ट उपोत्पादों के साथ–साथ मण्डियों का सृजन करना।

- राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विषयों, संविदा प्रबन्धन और अनुश्रवण, पर्यावरणीय अनुपालन और शिकायत निवारण तथा रुख और व्यवहार में परिवर्तन सहित अनुश्रवण प्रणालियां, क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करना और क्षेत्र अधारित अन्योन्यक्रिया ज्ञान और अनावृत्ति यात्राओं के लिए मंच सृजन करना।

- राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर फील्ड कर्मचारियों ,पर्यवेक्षण कर्मचारियों , संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों, समुदाय अधारित संगठनों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विषयों पर रुख और व्यवहार में परिवर्तन सहित उत्तरदायित्वों पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करना और क्षेत्र आधारित अन्योन्यक्रिया ज्ञान और अनावृति यात्राओं के लिए मंचों का सृजन करना।

- राज्य उनके लिए निशुल्क चिकित्सा सेवाओं और बीमा की उपलब्धता की छान–बीन करेगा और व्यवस्था करेगा जिन लोगों का स्वास्थ्य ठोस अपशिष्ट की उतराई–धराई करने के कारण प्रभावित हुआ है।

- शहरी स्थानीय निकाय के आकार के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत क्षमताओं को बढाना।

(च) संस्थागत व्यवस्थाएं और कार्यक्रम समर्थनः–

- राज्य स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों को समर्थन देने के लिए विशेषज्ञों सहित तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन। तकनीकि प्रकोष्ट, प्रसंस्करण, उपचार और भूमि भराव सुविधाओं के लिए स्थलों (व्यक्तिगत और क्षेत्रीय दोंनों) की पहचान, लोक–प्राईवेट भागीदारी प्रतिरुपण, तकनीकों, यांत्रिक संयोजन के कार्यान्वयन और अनुश्रवण सहित परियोजनाओं की संरचना और वित्तपोषण, ऊर्जा अपशिष्ट, जैव मिथेनीकरण, सीमेंट/ऊर्जा परियोजनाओं में सह–प्रसंस्करण में, समर्थन करेगा।

- राज्य में शहरी स्थानीय निकायों में नियमित रुप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रगति की समीक्षा करने और अप–स्केलिंग में आवश्यक परामर्श प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय स्वच्छता समिति का गठन किया जाए।

- शहरी स्थानीय निकायों को योजना, समन्वय और कार्यन्वयन के सभी पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित करना, राज्य के शहरों/ नगरों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक भावना सृजित करने के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले नगरों के लिए राज्य सरकार एक वार्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ करेगी।

- शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक तकनीकी समर्थन प्रदान करने और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रकोष्ठ सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का भी क्रियान्वयन करेगा। शहरी स्थानीय निकायों के लिए जागरुकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विकास और रुपांकन करना।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना
प्रधान सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः :यू0डी0–ए0(3)–12/2015–III तारीख शिमला–2, 5 –12–2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई तथा सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को दिनांक 20.11.2018 को आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के मद संख्या–42 के संन्दर्भ में ।
3. उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकारए शिमला–2 ।
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला–2 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नीति की प्रति समस्त शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करवाएं तथा विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
5. समस्त, उपायुक्त (सिवाए किन्नौर और लाहौल स्पिति) हि0प्र0
6. आयुक्त, नगर निगम शिमला–171001
7. आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

(सुरजीत सिंह राठौर)
उप सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-12/2015-III Dated 05 /12 /2018 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India)

Government of Himachal Pradesh,
Urban Development Department.

No. UD-A(3)-12/2015-III Shimla -2, the 05 December,2018

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by clause (1) of Rule 11 of the Solid Waste Management Rules, 2016, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to frame the following policy , namely :-

Himachal Pradesh State Policy on Solid Waste Management (Urban)

Preamble

Solid waste management represents one of the greatest challenge present before the State of Himachal Pradesh, as the State pushes towards development. In the State's pursuit for economic and social development, the Government of Himachal Pradesh gives due priority to environmental aspects in line with its commitment to pursue sustainable development. The Urban Development Department in its pursuit of an effective State-wide solid waste management system presents this State policy which would enshrine the general principles, ways and means through which the menace of Solid waste in urban areas, could be tamed effectively.

Introduction

Solid waste management is one of the most essential services for maintaining the quality of life in the urban areas and for ensuring better standards of health and sanitation. In India, this service falls short of the desired level as the systems adopted are outdated and inefficient. Institutional weakness, shortage of human and financial resources, improper choice of technology, inadequate coverage and lack of short and long term planning are responsible for the inadequacy of services.

For maximizing efficiency and effectiveness of this service, it is necessary to tackle this problem systematically by going into all aspects of the "Solid Waste Management" (SWM) and devise cost effective system which may ensure adequate level of Solid Waste Management services to all class of citizens along with collection , transportation and disposal of waste in an environmentally acceptable manner in terms of the new Solid Waste Management, Rules 2016.

The need of the hour is to devise an efficient solid waste management system where in decision-makers and waste management planners can deal with the increase in complexity, and uncertainty. The Soiid Waste Management Rules, 2016 , issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, under the Environment (Protection) Act, 1986, prescribe the manner in which the Authorities have to undertake collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of the municipal solid waste (the 'MSW') generated within their jurisdiction under their respective governinglegislation.

In this context, there is need to revisit, develop and implement appropriate strategy framework to guide the Urban Local Bodies for effectively handling municipal solid waste in order to comply with the Solid Waste Management Rules, 2016 notified by the Ministry of Environment and Forest , Government of India and related regulations. The framework will guide and support the urban local bodies in the State for managing the solid waste scientifically and cost effectively.

Provisions under Solid Waste Management Rules, 2016

In view of the serious environmental degradation resulting from the unscientific disposal of municipal solid waste, the Ministry of Environment and Forests, Government of India, notified the Solid Waste Management Rules, 2016, stipulating all municipal authorities to scientifically manage municipal solid waste. Compliance criteria for each and every stage of waste management - collection, segregation at source, transportation, processing and final disposal - are set out in the Solid Waste Management Rules, which includes ,-

a. defined roles and responsibilities of all thestakeholders;
b. mandatory segregation of waste at source and collection of it in segregated manner;
c. dumping of municipal solid waste in oceans, rivers, open areas and hill sides are not acceptable;

d. the biodegradable waste has to be processed by means of composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate biological processingfor stabilization ofwastes; and

e. mixed waste containing recoverable resources should be recycled. Other technologies for treatment such as Pelletisation, Gasification, Incineration etc. require clearance from Pollution Control Board before planning and implementation. Landfilling should be the waste disposal method only for, inert waste and other waste that is not suitable either for recycling or for biological processing.

Provisions of Rule 11 and Rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016:

11. Duties of the Secretary–in-charge, Urban Development in the States and Union territories-

(1) The Secretary, Urban Development Department in the State or Union territory through the Commissioner or Director of Municipal Administration or Director of local bodies shall-

(a) prepare a State Policy and Solid Waste Management Strategy for the State or the Union territory in consultation with stakeholders including representative of waste pickers, self help group and similar groups working in the field of waste management consistent with these rules, national policy on solid waste management and national urban sanitation policy of the ministry of urban development, in a period not later than one year from the date of notification of these rules;

(b) while preparing State Policy and Strategy on solid waste management, lay emphasis on waste reduction, reuse, recycling, recovery and optimum utilization of various components of solid waste to ensure minimization of waste going to the landfill and minimize impact of solid waste on human health and environment;

(c) State policies and strategies should acknowledge the primary role played by the informal sector of waste pickers, waste collectors and recycling industry in reducing waste and provide broad guidelines regarding integration of waste picker or informal waste collectors in the waste management system;

(d) ensure implementation of provisions o f these rules by all local authorities;

(e) direct the town planning department of the State to ensure that master plan of every city in the State or Union territory provisions for setting up of solid waste processing and disposal facilities except for the cities who are members of common waste processing facility or regional sanitary landfill for a group of cities; and

(f) ensure identification and allocation of suitable land to the local bodies within one year for setting up of processing and disposal facilities for solid wastes and incorporate them in the master plans (land use plan) of the State or as the case may be, citiest hrough metropolitan and district planning committees or town and country planning department;

(g) direct the town planning department of the State and local bodies to ensure that aseparate space for segregation, storage, decentralized processing of solid waste is demarcated in the development plan for group housing or commercial, institutional orany other non-residential complex exceeding 200 dwelling or having a plot area exceeding 5,000 squaremeters;

(h) direct the developers of Special Economic Zone, Industrial Estate, Industrial Park toearmark at least five percent of the total area of the plot or minimum five plots or sheds for recovery and recycling facility;

(i) facilitate establishment of common regional sanitary land fill for a group of citiesand towns falling within a distance of 50 km (or more) from the regional facility on acost sharing basis and ensure

professional management of such sanitarylandfills;

(j) arrange for capacity building of local bodies in managing solid waste,segregation and transportation or processing of such waste a tsource;

(k) notify buffer zone for the solid waste processing and disposal facilities of more than five tons per day in consultation with the State Pollution Control Board;and

(l) start a scheme on registration o fwaste pickers and waste dealers.

15. Duties and responsibilities of local authorities and village Panchayats of census towns and urban agglomerations:- The local authorities and Panchayatsshall,-

(a) prepare a solid waste management plan as per state policy and strategy on solid waste management within six months from the date of notification of state policy and strategy and submit a copy to respective departments of State Government or Union territory Administration or agency authorized by the State Government or Union territory Administration;

(b) arrange for door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designated location;

(c) establish a system to recognize organizations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorized waste pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste;

(d) facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration in solid waste

management including door to door collection ofwaste;

(e) frame bye-laws incorporating the provisions of these rules within one year from the date of notification of these rules and ensure timely implementation;

(f) prescribe from time to time user fee as deemed appropriate and collect the fee from the waste generators on its own or through authorized agency;

(g) direct waste generators not to litter i.e. throw or dispose of any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink canes, tetra packs, fruit peel,wrappers, etc., or burn or burry waste on streets, open public spaces, drains, waste bodies and to segregate the waste at source as prescribed under these rules and hand over the segregated waste to authorized the waste pickers or waste collectors authorized by the local body;

(h) setup material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space for sorting of recyclable materials to enable informal or authorized waste pickers and waste collectors to separate recyclables from the waste and provide easy access to waste pickers and recyclers for collection of segregated recyclable waste such as paper, plastic, metal, glass, textile from the source of generation or from material recovery facilities; Bins for storage of bio-degradable wastes shall be painted green, those for storage of recyclable wastes shall be printed white and those for storage of other wastes shall be printedblack;

(i) establish waste deposition centers for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometers or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at suchcenters;

(j) ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility or as may be directed by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee;

(k) direct street sweepers not to burn tree leaves collected from street sweeping and store them separately and handover to the waste collectors or agency authorized by localbody;

(l) provide training on solid waste management to waste-pickers and waste collectors;

(m) collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day to day basis and promote setting up of decentralized compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienicconditions;

(n) collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily, or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and localsituation;

(o) set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transport vehicles is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the localbody;

(p) collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far aspossible;

(q) transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for on-site processing of suchwaste;

(r) transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storagefacility;

(s) transport construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Wastemanagement Rules,2016;

(t) involve communities in waste management and promotion of home composting, biogas generation, decentralized processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around thefacility;

(u) phase out the use of chemical fertilizer in two years and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction. Incentives may be provided to recycling initiatives by informal waste recyclingsector;

(v) facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilization of various components of solid waste adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed bytheCentral Pollution Control Board. Preference shall be given to decentralized processing to minimize transportation cost and environmental impacts such as-

(a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilization of biodegradablewastes;

(b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid wastebased power plants or cementkilns;

(w) undertake on their own or through any other agency construction, operation and maintenance of sanitary landfill and associated infrastructure as per Schedule 1 for disposal of residual wastes in a manner prescribed under theserules;

(x) make adequate provision of funds for capital investments as well as operation and maintenance of solid waste management services in the annual budget ensuring that funds for discretionary functions of the local body have been allocated only after meeting the requirement of necessary funds for solid waste management and other obligatory functions of the local body as per theserules;

(y) make an application in Form-I for grant of authorization for setting up waste processing, treatment or disposal facility, if the volume of waste is exceeding five metric tones per day including sanitary landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be;

(z) submit application for renewal of authorization at least sixty days before the expiry of the validity ofauthorization;

(za) prepare and submit annual report in Form IV on or before the 30th April of the succeeding year to the Commissioner or Director, Municipal Administration or Designated Officer;

(zb) the Annual Report shall then be sent to the Secretary -in-Charge of the State Urban Development Department or Village Panchayat or Rural Development Department and to the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 31st May of every year;

(zc) educate workers including contract workers and supervisors for door to door collection of segregated waste and transporting the unmixed waste during primary and secondary transportation to processing or disposal facility;

(zd) ensure that the operator of a facility provides personal

protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce;

(ze) ensure that provisions for setting up of centers for collection, segregation and storage of segregated wastes, are incorporated in building plan while granting approval of building plan of a group housing society or market complex;

(zf) frame bye-laws and prescribe criteria for levying of spot fine for persons who litters or fails to comply with the provisions of these rules and delegate powers to officers or local bodies to levy spot fines as per the bye laws framed;

(zg) create public awareness through information, education and communication campaign and educate the waste generators on the following; namely:-

(i) Not to litter;

(ii) Minimise generation ofwaste;

(iii) Reuse the waste to the extentpossible;

(iv) Practice segregation of waste into bio–degradable, non-biodegradable (recyclable and combustible), sanitary waste and domestic hazardous wastes atsource;

(v) Practice home composting, vermi-composting, bio-gas generation or community level composting;

(vi) Wrap securely used sanitary waste as and when generated in the pouches provided by the brand owners or a suitable wrapping as prescribed by the local body and place the same in the bin meant for non- biodegradable waste;

(vii) Storage of segregated waste at source in differentbins;

(viii) Handover segregated waste to waste pickers, waste collectors, recyclers or waste collectionagencies; and

(ix) Pay monthly user fee or charges to waste collectors or

local bodies or any other person authorised by the local body for sustainability of solid waste management.

(zh) stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline as specified in Rule 23 for setting up and operationalization of sanitary landfill is over.

(zi) allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non- combustibleand non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill and the sanitary landfill sites shall meet the specifications as given in Schedule–I, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill;

(zj) investigate and analyze all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of bio-mining and bio-remediation and where so ever feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites; and

(zk) in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

Objectives of the Policy

The goal of effective Municipal Solid Waste Management (MSWM) services is to protect public health, the environment and natural resources (water, land and air). An effective Municipal Solid Waste Management service can be achieved only by improving the efficiency of Municipal Solid Waste Management activities, thereby leading to the reduction of waste generation, separation of Municipal Solid Waste and recyclable material, and recovery of compost and energy.

The objectives of this Urban Solid Waste Management policy are:

a. Providing directions for carrying out the waste management activities (collection, transportation, treatment and disposal) in a manner, which is not justenvironmentally, socially and financially sustainable but is also economically viable.

b. Establishing an integrated and self-contained operating framework for Municipal Solid Waste Management, which would include the development of appropriate means and technologies to handle various waste management activities.

c. Enhancing the ability of Urban Local Bodies to provide effective waste management services to theircitizens.

Present Solid Waste Management Scenario in Himachal Pradesh:

There are total 54 Urban Local Bodies (2 Municipal Corporations, 31 Municipal Councils and 21 Nagar Panchayats) in the State with total of 7.12 lakh population in the urban areas of State of Himachal Pradesh. Though no serious effort has so far been made in the State to either know the quantity or quality of the waste being generated in the State. Being a most favored tourist destination, the State receives huge influx of tourists in summers. Therefore, quality and quantity of waste generated in the state does not remain the same through hall seasons but it shows steep variation during different seasons due to massive floating population in the State of Himachal Pradesh due to touristic activities.

The State of Himachal Pradesh had conducted the waste characterization

study through National Environment Engineering and Research Institute (NEERI), Nagpur, in the year 2015, to ascertain the quality, quantity and characters of the waste being generated in the State. The study was conducted pre-monsoon and post-monsoon in four representative towns of the State namely Dharamshala, Sundernagar, Mandi and Shimla.The chart below shows the components present in the waste of these towns and their percentage:

S.No.	Waste component	Percentage
1	Biodegradable	52.45
2	Paper	24.09
3	Plastic	9.83
4	Textile	4.10
5	Glass	1.35
6	Rubber	0.44
7	Metal	1.29
8	Inert	6.49

The total Urban Local Bodies in the State on an average generates about 342 Tonnes of waste per day. Urban Local Body wise generation of waste (approximate figure) is as below.-

PER DAY WASTE GENERATION IN URBAN LOCAL BODIES OF THE STATE

Sl. No.	Name of Urban Local Body	Estimated Waste generation (TPD)	Sl. No.	Name of Urban Local Body	Estimated Waste generation (TPD)
1	Municipal Corporation Shimla	90.00	30	Municipal Council Sujanpur	1.90
2	Municipal Council Rampur	4.50	31	Nagar Panchayat Bhota	0.80
3	Municipal Council Theog	1.80	32	Municipal Corporation Dharamsala	18.00
4	Nagar Panchayat Narkanda	0.80	33	Municipal Council Kangra	6.00
5	Nagar PanchayatSuni	0.60	34	Municipal Council Palampur	1.50
6	Nagar Panchayat Chopal	0.40	35	Municipal Council Nurpur	4.00
7	Nagar Panchayat Kotkhai	0.45	36	Municipal Council Dehra	1.80
8	Nagar Panchayat Jubbal	0.30	37	Municipal Council Nagrota	4.00
9	Municipal Council Rohroo	1.00	38	Municipal Council Jawalamukhi	2.10
10	Municipal Council Solan	20.00	39	Nagar Panchayat Jawali	5.20

11	Municipal Council Nalagarh	3.00
12	Municipal Council Parwanoo	2.50
13	Nagar Panchayat Arki	1.50
14	Municipal Council Baddi	12.00
15	Municipal Council Nahan	10.00
16	Municipal Council Paonta	9.00
17	Nagar Panchayat Rajgarh	1.00
18	Municipal Council Bilaspur	4.50
19	Municipal Council Naina Devi Ji	1.00
20	Municipal Council Ghumarwin	3.00
21	Nagar Panchayat Talai	0.60
22	Municipal Council Una	6.00
23	Nagar Panchayat Gagret	2.10
24	Nagar Panchayat Daulatpur	2.00
25	Municipal Council Mehatpur	4.00
26	Municipal Council Santokhgarh	4.50
27	Nagar Panchayat Tahliwal	1.80
28	Municipal Council Hamirpur	15.00
29	Nagar Panchayat Nadaun	0.70
40	Nagar Panchayat Baijnath Paprola	7.80
41	Municipal CouncilChamba	8.50
42	Municipal Council Dalhousie	2.50
43	Nagar Panchayat Chowari	0.30
44	Municipal Council Mandi	23.00
45	Municipal Council Sundernagar	13.50
46	Municipal Council NerChowk	8.20
47	Nagar Panchayat Sarkaghat	1.50
48	Municipal Council Jogindernagar	1.20
49	Nagar Panchayat Rewalsar	0.60
50	Nagar Panchayat Karsog	1.00
51	Municipal Council Kullu	10.00
52	Municipal Council Manali	12.00
53	Nagar Panchayat Bhuntar	2.50
54	Nagar Panchayat Banjar	0.50
	Total	**342.35**

Approaches for Urban Solid Waste Management to be adopted by the State

Hierarchy of Waste Management- 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle):

The framework proposes to have a multipronged approach that includes the 3Rs principle Reduce, Reuse and Recycle. The first choice of measures in waste management, is avoidance and waste generation through its reduction. This step aims for goods to be designed in a manner that minimizes their waste components. Also, the reduction of the quantity and toxicity of waste generated during the production process is important.

Re-using an article removes it from the waste stream for use in a similar or different purpose without changing its form or properties.

The recycling of waste, involves separating articles from the waste stream and processing them as products or raw materials. This approach seeks to recycle a product when it reaches the end of its life span. Recycling is process of transforming materials into secondary resources formanufacturingnew products. Promotion of waste recycling sector by providing institutionalsupport and motivating all the stakeholders to segregate at source of generation would be done.

Vision, Goals and Guiding Principles of Policy:

Vision-

The vision of State Solid Waste Management policy is that Urban Cities of State to become totally clean, sanitized, healthy, and livable, ensuring and sustaining good public health and environmental outcomes for all citizens, in line with the Solid Waste Management Rules, 2016. To equip cities of Himachal Pradesh with efficient, environment friendly and sustainable waste management system with completesafe collection, transportation, treatment and disposal facilities and achieve the service Benchmarks.

Goal-

- 100% door to door collection and sourcesegregation.
- Efficient collection and safe transportation of waste generated in the cities.
- 100% treatment and scientific disposal facility and costrecovery.
- Better awareness among the urban population and community mobilizationparticipation.
- Capacity Enhancement and Optimization of the human resources in Solid Waste Management.
- Strengthen the existingbye-laws for better regulation and user charges.
- Encourage Public Private Partnership (PPP) in developing integrated Solid. Waste Management on Regional/clusterApproach.
- Developing solid waste treatment/disposal facilities for individual Urban. Local Bodies which cannot be covered under cluster basedapproach.
- Finally achieve 'zero' waste cities in HimachalPradesh.

Guiding Principles of the policy-

The principles, which govern the future approach to provision of Municipal Solid Waste Management services, include the following .-

a. Sanitation will be treated as a basic service:- The State Government shall create opportunities and provide necessary support through which, all citizens can have access to sanitation services as their basicentitlement.

b. Increased awareness of the collective goal of sanitized cities:- The causal linkagesof sanitation with public and environmental health need to be made more explicit tocitizens, communities and institutions. In addition to the provision of facilities,sustained improvements in the quality of life arepossible when supplemented byhygiene and behaviour change. The State will aim to generate demand for safesanitation, especially among the un-served households. Citizens, communities, institutions, and cities as a whole will be encouraged to play an active role in bothbehaviour change towards safe sanitation, and ensuring the adoption and use of safetechnology to protect the environment.

c. Institutional roles, responsibilities and capacity development:- The policy will

focus on progressive articulation in policy and law followed-up by operations that arein line with the spirit of the 74th Constitutional Amendment Act, 1994. Devolution offunctions, funds and functionaries will need to be progressively ensured to the Urban Local Bodies with adequate support for building planning, and management capacities. The quality of city sanitation planning will depend upon the vibrancy of sub-city representative institutions that draw on civil society to ensure active citizenengagement.

d. Provision of enabling legislation for effective and efficient control and managementof environmental sanitation of urbanareas.

e. Promoting recovery of value from solid waste, developing treatment and finaldisposal facilities, which, while adhering to the statutory requirements, aresustainable, environmental friendly and economical.

f. Minimizing multiple and manual handling of waste, and designing a system to ensure that Municipal Solid Waste does not touch the ground till treatment and final disposal defining the roles and responsibilities of various stakeholders and putting in place an operating framework, which would include appropriate contractual structures developing systems for effective resources utilisation anddeployment.

g. Promoting recovery of value from Municipal Solid Waste ; developing treatment and final disposal facilities, which, while adhering to the statutory requirements, are sustainable, environmentally friendly and economical.

Municipal Solid Waste Management depends, as much upon organization and co-operation between households, communities, Non-Government Organization and Urban Local Bodies, as it does upon selection and application of appropriate technical solutions for various waste management activities.

h. 'Polluter pays' principle, which basically means that the producer of goods or items should be responsible for the cost of preventing or dealing with any pollution that the process causes, will be adopted and applied to the extent practicable.

i. Emphasis on operations and maintenance of sanitation infrastructure:- One of thekey reasons for poor sanitation infrastructure as well as high capital

expenditure on sanitation is the lack of operations and maintenance of existing sanitation infrastructure. Urban Local Bodies will be responsible to ensure that existing sanitation infrastructure is maintained at adequate operational levels, either through official funds, or in partnership with the private sector.

j. Integrating broader environmental concerns in the provision of urban sanitation service delivery:- The environment (land, air, and water resources) must be considered in all development activities for sanitation provision and management. All planning and implementation will seek to ensure that adverse risks to public health and the environment are adequately minimized at all stages in the sanitation chain–containment, collection, transportation or conveyance, treatment and re-use or disposal. Appropriate protection of the environment shall be applied, including prosecution under the law as required. The State Government will prioritize those cities that directly or indirectly affect rivers or river basins in the State due to discharge of untreated domestic waste water for setting up pollution abatement systems.

Implementation Plan:

In accordance with theimplementation of above activities, the State has already formulated a State Level Municipal Solid Waste Management Action Plan in the year 2017 and actions accordingly are being taken to improve the Solid Waste Managment situation in the State.

Way forward and Strategic Interventions to be introduced:

The Proposed Strategy employs the six main elements:-

(a) door to Door Collection of Solid Wastegenerated;

(b) waste minimization and promotion of recycling ofwaste;

(c) engaging stakeholders in implementation of theplan;

(d) processing, treatment and disposal of waste;

(e) strengthening the capacities of the Urban Local Bodies ; and

(f) institutional arrangements and Program support.

(a) Door to door Collection of WasteGenerated-

- Organizing door-to-door collection of waste to be the irreversible strategic approach to prevent residents from dumping their garbage out in open. The waste collected from door-to-door should be source segregated and collected separately in wet and dry waste from all sources. Appropriate bin system (community or litter bins wherever required) to be adopted in the cities for collection of waste in segregated manner.
- Urban Local Bodies are encouragedfor outsourcing of Door-to-Door collection and to integrate it with the treatment plant operations.
- Route mapping of door to door collection activities on City Wide Scale for improved coverage. Vehicles/equipment for collection of waste may be engaged on city-to-city condition basis.
- The waste should be transported in a segregated form (wet and dry) by vehicles upto treatment/disposalfacility.
- Waste to be handled mechanically across the Municipal Solid Waste value chain

with minimum human contact with waste. Modernize fleet management services with covered transportation system to be adopted for transportation of the waste.

- Specific safety arrangements to be made for people working in the area of collection and transportation of waste.

(b) Waste minimization and promotion of recycling of waste-

- Promotion of recyclable substitutes for non-biodegradable materials like plastics and develop systems for their recycle, reuse, through promotion of relevant technologies, and use of incentive based instrument, and developing and implementation of measures for reduction and removal of non-biodegradables through participatory approaches.
- Municipal Solid Waste to be segregated at source into groups of organic, inorganic, recyclables and hazardous waste. Municipal Solid Waste Management constituents like metal, plastics, glass and paper wastes are to be segregated and recycled. Each Urban Local Bodies to identify land to establish Dry Waste Sorting facilities (Material Recovery Facilities) wherever possible through social entrepreneurs, common interest groups of informal sector likerag pickers associations and co-operatives, Community Based Organizations like Women Self Help Groups, Slum Level Federations, Apartment Societies, Resident Welfare Associations and Non-Governmental Organizations to be involved.
- Encourage individual households/ apartment complexes for setting 'sourcecomposting options' like vermin-composting/ composting at household level,portable new age small scale bio gas units for kitchen waste, and small-scaledecentralized units for treating the organic waste fraction to the places like communitylevel, large hotels, marriage halls, hostels, organizedcolonies.
- Urban Local Bodies to set up community-based composting yards on suitable road-side locations, institutional campuses and public parks for horticulture waste or leaf litter and encourage interested sweeper groups, apartment societies, resident welfare associations or Community Based Organizations to maintain them and use the proceeds from the sale of manure produced bythem.
- Landfill sites to be used sparingly and only as a last resort in waste management hierarchy and shall not exceed 20% of the total municipal solid waste generated. Organic material and recyclables to be recovered fully prior to land filling of only inert matter.

(c) Engaging Stakeholders in Implementation-

- Encourage sound contracting practice which begins with setting operational goals, defining performance or service benchmark standards and specifications and producing a document that communicates these to private, semi-private, Non-Government Organizations, Community Based Organizations or other economic sectors who would like to participate as service providers.
- Awareness among stakeholders on Solid Waste Management is important and continuous process. There is need to intensify extension activities so as to continuously motivate and educate the stakeholders through effective IEC programs. ULBs to raise the awareness of city stakeholders through regular meetings with households, establishments, industries, elected representatives, municipal functionaries, media,etc. since improved sanitation can ensure improved public health and environmental outcomes only if considerable changes in behavior and practice take place across the spectrum of thesociety.
- Urban Local Bodies may develop and strengthen Civil Society Organizations-Resident Welfare Associations in Non-Slum Areas for effective democratic and participatory functioning devising methodologies on the lines of Community Based Organizations like Self Help Groups in the Slum Areas to ensure Community participation and ownership of Solid Waste Management on sustainable mode.
- Urban Local Bodies to disseminate relevant information on waste quantities and characteristics; waste treatment, recovery and disposal: the costs of providing the waste management services; the sources of funding used to finance the services in public domain. Publication of reports on Annual report of the Service Levels shall also bedone.
- Urban Local Bodies to constitute City Sanitation Task Force involving the stakeholders in planning, implementation and monitoring of the City Sanitation Plans.

(d) Processing, Treatment and Disposal of Waste-

- Urban Local Bodies to adopt a mix of multiple of options of centralized (city and regional level) and decentralized options for treatment and scientific disposal.
- Centralized processing units at cluster level in case of municipalities considering the quantities of waste generated and economics of clustering them into regional

facilities.

- Treatment of segregated waste to be done through appropriate technologies based on the feasibility, characteristics and quantities of waste. The technology options could be Composting, Bio-methanation for bio-degradable/wet waste and waste to energy, Refuse Derived Fuel , Co-Processing of dry segregated rejects in cement/ power plants, which are endorsed by the Central Pollution Control Board.
- Treatment and Scientific disposal are net cost based and recovery of Operation and Maintenance cost is technology dependent. Tipping / Processing Fee is the mechanism to compensate the Public Private Partnership projects developed for treatment and disposal.

(e) Strengthening the Capacity of Urban Local Bodies-

- State Government to guide Urban Local Bodies to draft model bye-laws and legislations to facilitate levying user charges, penalties for violators and explore revenue options like revenues from sale of waste and by products, Clean Development Mechanisms, Solid Waste Management Cess, Landfill tax or Processing fee etc., to achieve financial sustainability.
- Set out operational guidelines for the procurement of equipment and services based on the size of the town and population.
- Provide incentives and market linkages for the by-products like compost and other recyclables. Creation of market avenues through involvement of the Department of Agriculture, Horticulture, Forests and Fertilizer companies as well as other agencies in the farm sector to ensure effective marketing of the compost as well as its by-products.
- Formulate and implement state and Urban Local Body level capacity building programs on Solid Waste Management topics based on contract management and monitoring, environmental compliance and complaint redressal and monitoring systems including attitude and behavior change and creation of platforms for field based interactive learning and exposure visits.
- Formulate and implement state and Urban Local Body level for capacity building programs to the field staff, supervisory staff, contract employees, officers, civil society organizations,community-based organizations, on Solid Waste Management topics based on the responsibilities including attitude and

behavior change and creation of platforms for field based interactive learning and exposure visits.

- The State shall explore and arrange for free medical services and insurance to bemade available to those whose health is affected on account of handling solid waste.
- Strengthen the institutional capacities of the Urban Local Bodies as per the size of the Urban Local Body.

(f) Institutional Arrangements and Program Support-

- Setting up a Technical Cell with experts to extend support to the Urban Local Bodies at State Level. The Technical cell would support in identifying sites for processing, treatment and landfill facilities (both individual and regional), Public Private Partnership models, technologies, structuring and financing of projects including implementation and monitoring of the Mechanical Composting, Waste to Energy and Bio-methanization, Co-Processing in cement/ power Projects.
- State Level Sanitation Committee to be set up to review the progress of Municipal Solid Waste management in Urban Local Bodies across the state on regular basis and provide necessary advice in upscaling.
- Encourage Urban Local Bodies to perform better in all aspects of planning, coordination, and implementation, the state government to institute an annual awards scheme to the best performing towns to create a competitive spirit among cities/Towns in the State.
- The Solid Waste Management cell to be established at regional level for providing necessary technical support to the Urban Local Bodies and monitoring the Solid Waste Management activities. The regional level Solid Waste Management cell shall also monitor and implement Solid Waste Management Rules, 2016 in the concerned Urban Local Bodies. Develop and design awareness and capacity building programs for the Urban Local Bodies.

By Order

Prabodh Saxena
Pr. Secretary(UD) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. UD-A(3)-12/2015-III, dated:Shimla-2, the 5 /12/2018
Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The All ACS/Pr.Secy/Secy to the Government of Himachal Pradesh.
2. The DLR-cum-Deputy Secretary Law (Legislation) to the Govt. of H.P.
3. The Secretary(GAD) to the , Govt of H.P. for information w.r.to item No.42 dated 20/11/2018(CMM).
4. The Director, Urban Development, PalikaBhawan, Talland, Shimla-2.with a request to circulate the policy to all ULBs , other concerned and also upload on the website.
5. The All the Deputy Commissioners (except Kinnaur & Lahaul Spiti), in Himachal Pradesh.
6. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-1
7. The Commissioner, Dharamshala Municipal Corporation, Distt. Kangra, H.P.

Deputy Secretary (UD) to the
Government of Himachal Pradesh